ISSN: 2582-5526 www.thevoiceofcreativeresearch.com

The Voice of Creative Research

*Vol. 8 & Issue 3 (July 2026)*

**Peer Reviewed Article**

**DOI:** https://doi.org/10.53032/tvcr/2026.v8n3.23

# समावेशी शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन: भारतीय संदर्भ में

**सिम्मी सोनकर,**
(शोधार्थी)
शिक्षा शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई-मेल: simmianandsv@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-2140-2642

**डॉ० विभा यादव,**
(सहायक आचार्य)
शिक्षा शास्त्र विभाग
महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई-मेल: vibhayadav265@gmail.com

**सारांश**

प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में विद्यालयी नेतृत्व की भूमिका का विश्लेषण करता है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए समान अवसर, सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक शैक्षिक संसाधन, सुगम्य अधिगम व्यवस्था तथा सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। इस संदर्भ में विद्यालय प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रशासन तथा राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्ययन का उद्देश्य समावेशी विद्यालय नेतृत्व के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी और उत्तरदायी नेतृत्व व्यवस्था विकसित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संबंधित सरकारी नीतियों एवं प्रतिवेदनों तथा उपलब्ध शोध-पत्रों का दस्तावेजीय एवं साहित्यिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नीतिगत प्रावधानों के बावजूद बुनियादी ढांचे की कमी, सुगम्य सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रशासनिक उदासीनता तथा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी नेतृत्व और निगरानी की कमी समावेशी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएँ भी इन संरचनात्मक समस्याओं की ओर संकेत करती हैं। अतः समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए संवेदनशील, सहभागी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित विद्यालय नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है।

**मुख्य शब्द:** समावेशी शिक्षा, विद्यालय नेतृत्व, दिव्यांग विद्यार्थी, शैक्षिक समानता, नेतृत्व चुनौतियाँ, विद्यालयी वातावरण

**प्रस्तावना**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-क में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2020) के अनुसार, कोई भी बच्चा अपनी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ है। समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में, एक साथ, बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यह केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या में अनुकूलन, बाधा-मुक्त वातावरण, संसाधन कक्ष, व्यक्तिगत शिक्षा योजना तथा सहायक उपकरणों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापक केवल एक प्रशासक नहीं, बल्कि एक समावेशी नेता होता है। वह विद्यालय में ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है, जहाँ प्रत्येक बच्चा स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और स्वीकार्य महसूस करता है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे भौतिक संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का अभाव तथा रूढ़िवादी अभिवृत्तियाँ। इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी विद्यालय नेतृत्व के विविध आयामों को समझना आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रस्तुत शोध-पत्र में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका, चुनौतियों एवं समाधानों का विश्लेषण किया गया है।

**अध्ययन की आवश्यकता**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 जैसी नीतियां होने के बावजूद भी भारत में विकलांग बच्चे पर यूनेस्को की रिपोर्ट, 'भारत के लिए शिक्षा की स्थिति' 2019 के अनुसार 27% दिव्यांग बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूलों में संसाधनों, शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में जयपुर के सेठ आनंदी लाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला है। विद्यालय में खराब बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया है। इस तरह की घटनाओं का मुख्य कारण विद्यालयों में सशक्त समावेशी नेतृत्व का अभाव है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर प्रयास और प्रभावी नेतृत्व को सम्मिलित किया जाए तो कुछ सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति की जा सकती है, अतः इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, भारत में समावेशी शिक्षा अर्थात् सभी के लिए समान अवसरों वाली शिक्षा प्रणाली को लागू करना जटिल कार्य है और विभिन्न संदर्भ में बच्चों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं की एक अच्छी समझ विकसित करने की आवश्यकता है।

इस विषय पर यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019, में जारी 'स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़' में भारतीय विकलांग बच्चों की शिक्षा में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं, जिसमें -

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप बनाया जाए।
2. शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए ताकि दिव्यांग बच्चों का सभी शिक्षा कार्यक्रमों में अभिसरण हो सके।
3. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
4. योजना और निगरानी के लिए दिव्यांग बच्चों से संबंधित डेटा प्रणाली को मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगी बनाया जाए।
5. विद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध किया जाए और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
6. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाए।
7. प्रत्येक बच्चे को अवसर दिया जाए और किसी भी दिव्यांग बच्चे को पीछे न छोड़ा जाए।
8. विविध शिक्षार्थियों के समावेशन के लिए शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन किया जाए।
9. कक्षा के अंदर और बाहर दिव्यांग बच्चों के प्रति रूढ़ियों को समाप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण किया जाए।
10. सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय के बीच प्रभावी साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए।

**समावेशी शिक्षा**

समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को चाहे वे सामान्य हों या दिव्यांग हों, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में, बिना किसी भेदभाव के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करना। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव, बाधा-मुक्त वातावरण, संसाधन कक्ष, विशेष शिक्षक और सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है ताकि हर बच्चा अपनी गति से सीख सके।

**समावेशी शिक्षा की आवश्यकता**

समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान विद्यार्थियों के साथ सीखने का अवसर प्रदान करने, क्षमताओं को विकसित करने, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने, सकारात्मक एवं व्यवहारिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है। इसके द्वारा एन.ई. पी. 2020 और सतत विकास लक्ष्य- 4 को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह कम खर्चीली होने के साथ-साथ विभिन्नताओं को दूर करने में भी अधिक प्रभावी है।

**समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ**

वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं –

- आधारभूत सुविधाओं की कमी - जैसे रैंप, ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्रों का अभाव।
- विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।
- शिक्षकों और अभिभावकों में दिव्यांग बच्चों के प्रति नकारात्मक सोच और रूढ़ियाँ।
- बजट और संसाधनों की कमी।
- दिव्यांग बच्चों से संबंधित सही आंकड़ों और डेटा प्रणाली का अभाव।

**नेतृत्व की अवधारणा**

नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और सकारात्मक व्यवहार से दूसरों को एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावित और प्रेरित करता है। विद्यालय के संदर्भ में, प्रधानाध्यापक ही विद्यालय का नेता होता है। अच्छा नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि सभी शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों को साथ लेकर चलना है।

**समावेशी विद्यालय नेतृत्व का मॉडल**

समावेशी विद्यालय नेतृत्व 6 प्रमुख हितधारकों के सहयोग से कार्य करता है। यह मॉडल परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित है जहाँ प्रधानाचार्य केंद्र में रहकर सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। (Hunt et al., 2024)

**चित्र -1**

**समावेशी विद्यालय नेतृत्व की भूमिका**

समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका विद्यालय नेतृत्व की होती है। यह विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। यह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप, विशेष शौचालय संसाधन युक्त कक्षा और सहायक उपकरणों की व्यवस्था करने, अभिभावकों और समुदायों को समावेशी शिक्षा के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**वैचारिक पृष्ठभूमि**

शैक्षिक नेता समावेशन की अवधारणा को नीति से व्यवहार में बदलने के प्रयास में महत्त्वपूर्ण हैं। नेतृत्व संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं को लागू करने और स्थापित करने हेतु आवश्यक है, जिसमें कक्षा शिक्षण और संबंध, बोर्ड बैठक, शिक्षक पर्यवेक्षण, परामर्श सेवाएँ, चिकित्सा, देखभाल, स्कूल यात्राएँ, बजटीय आवंटन और जहाँ तक संभव हो सके विद्यार्थियों के माता-पिता और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन स्थापित करना आदि (हंट एट ऑल.,2024)। समावेशी नेतृत्व प्राप्त करना समावेशी विद्यालय संस्कृति, नीति के साथ-साथ मानसिकता और सहयोग पर भी आधारित है। विद्यालय के नेताओं की समावेशी मूल्य को अपनाने की तत्परता, शिक्षकों की सहभागिता, सक्रिय भूमिका और सुदृढ़ सहायता संरचना की उपलब्धता, यह सभी महत्त्वपूर्ण तत्व हैं (अलबुलेस्कु एट ऑल.,2025)। समावेशी विद्यालय नेतृत्व समावेशी शिक्षा में शोध पद्धतियों के लिए एक समग्र विद्यालय परिवर्तन हेतु योगदान दे सकते हैं। यह शिक्षकों के शैक्षणिक आशावाद को प्रभावित करते हैं और विद्यालयों में शिक्षकों के सहयोग और समावेशी ज्ञान को अंतरराष्ट्रीय आधार पर योगदान प्रदान कर सकते हैं (एडम्स एट ऑल., 2025)। व्यक्तिगत शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की दिशा में परिवर्तनकारी नेतृत्व का प्रभाव सहयोगात्मक संरचनाओं द्वारा पूरी तरह से मध्यस्थ होता है, जबकि निर्देशात्मक नेतृत्व का प्रभाव बना रहता है। नेतृत्व शैली इस बात से जुड़ी होती है कि विद्यालय नेता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव करते हैं (लेब्रेस्ट एट ऑल, 2020)।

**नीतिगत संदर्भ**

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 - एन.ई.पी. 1986 के अनुसार, मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को जाति, पंथ, स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना, एक निश्चित स्तर तक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य, उन्हें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम बनाना है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992 - इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक स्तरों पर सक्षम बनाना है।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 - इस ट्रस्ट की स्थापना 30 दिसंबर, 1999 को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण और उससे जुड़े मामलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में की गई थी।
- सर्व शिक्षा अभियान, 2001-इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना तथा दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 - इसका उद्देश्य समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों को संबोधित किया गया है: विकलांगता की रोकथाम, विकलांगता का शीघ्र पता लगाने सहित पुनर्वास उपाय, परिवार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी, सहायक उपकरणों का प्रावधान, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रावधान, आर्थिक पुनर्वास, सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार, विकलांग महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, विकलांग बच्चों की देखभाल और बाधा मुक्त वातावरण।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए एक अधिनियम है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020- इस नीति में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व पर जोर देती है।
- इंचियोन रणनीति - इस रणनीति का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सदस्य और सहयोगी सदस्य देशों को तकनीकी परामर्श और सहायता प्रदान करना है।

**शोध विधि**

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं गुणात्मक प्रकृति का समीक्षा शोध पत्र है। इसमें प्रदत्तों की जानकारी द्वितीयक स्रोतों के आधार पर एकत्र की गई है। शोध हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय एवं यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइटों तथा जयपुर के पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय की केस स्टडी से प्राप्त कर विषय-वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा परिणामों की व्याख्या की गई है।

**शोध प्रश्न**

- समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
- समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका क्या है?

**परिणाम**

उद्देश्य नंबर-1: समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं।

समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषता समानता और न्याय में विश्वास है, जहाँ प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाता है। ऐसा नेतृत्व सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। इसमें लचीलापन और नवाचार होता है, ताकि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके। समावेशी नेतृत्व की यह भी जिम्मेदारी है कि वह रैंप, ब्रेल लिपि, सहायक उपकरण जैसी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखे।

उद्देश्य नंबर-2: समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका क्या है।

समावेशी शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। एक प्रभावी समावेशी नेता विद्यालय में ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है जहाँ विविधता को बोझ नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखा जाता है। वर्तमान भारतीय संदर्भ में यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रखा जाता है।

**निष्कर्ष**

समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों का सामान्य विद्यालय में नामांकन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समग्र संस्कृति है जिसमें भौतिक, शैक्षणिक और सामाजिक सभी बाधाओं को दूर कर प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान किया जाता है। द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और यूनेस्को रिपोर्ट 2019 में समावेशी शिक्षा हेतु सशक्त प्रावधान किए गए हैं, परन्तु धरातल पर उनके क्रियान्वयन में गंभीर अंतर दिखाई देता है। जयपुर के पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय की केस स्टडी इसी अंतर का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहाँ सुविधाओं के अभाव में छात्रों को विरोध के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतियों से नहीं, बल्कि विद्यालय नेतृत्व की संवेदनशीलता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और समुदाय की जागरूकता पर निर्भर करती है।

**सुझाव**

- वर्तमान में समावेशी शिक्षा हेतु चल रहे कार्यक्रमों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुंच सामान्य स्कूलों में किस स्तर की है, का अध्ययन करना किया जाना चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने उनका समाधान करने के लिए राज्य और जिले स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्यालयों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

## संदर्भ सूची

1. एडम्स, डी., मोहम्मद, ए., मूसा, वी., शरीफ़ा, एम., एवं टैन, के. एल. (2025)। Toward effective inclusive practices: Dynamics among school leadership, academic optimism, and teacher collaboration. *International Journal of Developmental Disabilities, 71*(6), 867–878. https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2479746
2. अल्बुलेस्कु, आई., मानेआ, ए.-डी., अल्बुलेस्कु, एम., स्टैन, सी., एवं एंड्रोनाचे, डी. (2025)। Perceptions of inclusive leadership and its implications for achieving socio-educational performance. *Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 15*, 213–237. https://doi.org/10.15388/SW.2025.15.12

3. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020)। *Inclusive school leadership: A practical guide to developing and reviewing policy frameworks*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. https://www.european-agency.org
4. हंट, पी., म्राह, डब्ल्यू., पोर्टर, जी., रिचलर, डी., साइडर, एस., स्पेक्ट, जे., एवं स्वेंसन, एस. (2024)। *Lead to include: Educational leadership for inclusive education* (ED/GEMR/MRT/2024/BP1/04)। UNESCO Global Education Monitoring Report Team. https://doi.org/10.54676/TYEN6998
5. लैम्ब्रेक्ट, जे., लेनकाइट, जे., हार्टमैन, ए., एहलर्ट, ए., निग्गे, एम., एवं स्पोरर, एन. (2022)। The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education, 26*(9), 943–957. https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)*। भारत सरकार। https://education.gov.in
7. यूनेस्को। (2019)। *N for nose: State of the education report for India 2019: Children with disabilities*। UNESCO New Delhi Cluster Office. https://www.unesco.org